22

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 20/2022 बउनवानी मुहमम्द अरशाद बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर पुत्र श्री अ.समद खान निवासी ग्राम बहतेड, तहसील मलारना डूँगर

GCMS No-2022/20

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.11.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– "राजस्व रिकार्ड के मुताबिक आम लोगो द्वारा किये गये कब्जा(अतिक्रमण से संबंधित कच्चा व पक्का मकान व बाडा वगै.) व ख0न0 व काबिज व्यक्ति का नाम व पता सहित प्रमाणित सूचना चाहिए।" 1- ग्राम पंचायत बहतेड मे आम रास्तो पर किये गये अतिक्रमण से संबंधित सूचनाऐ। 2- ग्राम पंचायत बहतेड में माफी मंदिर व मस्जिद पर किये गये अतिक्रमण से संबंधित सूचनाऐं। 3- ग्राम पंचायत बहतेड में श्मशान की भूमि पर किये गये अतिक्रमण से संबंधित सूचनाऐं। 4- ग्राम पंचायत बहतेड में कब्रिस्तान की भूमि पर किये गये अतिक्रमण से संबंधित सूचनाऐं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एलआर/22 /486 दिनांक 16.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 पर चाही गयी सूचना स्पष्ट नही होने एवं प्रश्नात्मक होने के कारण प्रार्थी को वांछित सूचनाऐ से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन करने बाबत जरिये पत्रांक 6076 दिनांक 23.12.201 से लिखा गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त पत्र लेने से मना कर दिया। अब अपीलान्ट को ग्राम बहतेड की सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण से संबंधित रजिस्टर न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूँगर की प्रमाणित प्रतियॉ भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उसको उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.11.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 पर चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक एवं चाही गयी सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित नही होने के बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बहतेड की सरकारी भूमि पर सम्वत् 2078 में किये गये अतिक्रमण से संबंधित प्रकरणों के दर्ज रजिस्टर ,न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूँगर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐ उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.15 12:17:17 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर